

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal)
No. 1625/2025

in

S.B. Criminal Appeal No. 916/2025

Vijay Kumar Rai S/o Shri Manni Rai, Aged About 27 Years, R/o Village Kako Shankarpur Tehsil Bhairavsthan Police Station Jhanjharpur District Madhubani Bihar At Present Tenant Jogiyo Ki Dhani , Sundar Nagar Near Two Hundred Feet By Pass, Police Station Shayam, Nagar Jaipur Raj At Present Under Judicial Custody Central Jail Jaipur)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. Rohit Khandelwal S/o Shri Vishanu Prakash Khandelwal, Aged About 37 Years, R/o Plot No. B-69, Lane No 9 Sundar Nagar Janpath Ajmer Road Police Station Shayam Nagar Jaipur

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Gajendra Singh Rathore
For Respondent(s)	:	Mr. Shriram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

13/02/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय—विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, क्रम संख्या—02, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा सेशन प्रकरण सं—35/2021, सरकार बनाम विजय कुमार राय में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक 03.03.2025 के विरुद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा

अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है, उसे अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त वर्तमान में 15 माह से अधिक सजा भुगत चुका है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रस्तुत अपील में अभियुक्त के दोषमुक्त होने बाबत् पर्याप्त आधार एवं सुदृढ साक्ष्य विद्यमान हैं। प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगेगा। अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/- रूपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रूपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **13.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित

किया जावे, वह उपस्थित होता रहेगा तो अपीलार्थी/अभियुक्त विजय कुमार राय पुत्र श्री मन्नी राय को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (**sentence**) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J